रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12112025-267582
SG-DL-E-12112025-267582

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 345]	दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 11, 2025/कार्तिक 20, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 323
No. 345]	DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 11, 2025/KARTIKA 20, 1947	[N. C. T. D. No. 323

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2025

सं. **F. No 7(160)/DDLB-III/2025/CDNo. 021772781/5869** निम्नलिखित सामान्य जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित किया जाता है :–

दिल्ली नगर निगम

(केन्द्रीय संस्थापना विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2025

फा.सं. AO-III/CED/SO-IV/CED/MCD/2025/2676–दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 480 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 98, तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 19 अक्टूबर, 1966 की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 3159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के उपरांत, दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रशासनिक

अधिकारी/सहायक कर–निर्धारक एवं समाहर्ता, दिल्ली नगर निगम के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित/नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (क) इन विनियमों को प्रशासनिक अधिकारी/सहायक कर–निर्धारक एवं समाहर्ता भर्ती विनियम, 2024 कहा जाएगा।
(ख) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– उक्त पदों की संख्या इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– कोई भी व्यक्ति,–

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :– जहां दिल्ली नगर निगम का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा, कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्ष के उपरांत व्यक्तियों या पदों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव** :– इस विनियम में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातिं के प्रत्याशियों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

1	**पदनाम**		**प्रशासनिक अधिकारी/सहायक कर–निर्धारक एवं समाहर्ता**
2	**पदों की संख्या**		**149 (2022) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।**
3	**वर्गीकरण**		**श्रेणी 'ख'**
4	**वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स में स्तर**		**वेतन मैट्रिक्स में स्तर 9 (रु.53100–167800)**

5	क्या चयन पद है अथवा गैर–चयन पद		चयन पद
6	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा		लागू नहीं
7	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यता		अनिवार्य : योग्यता : लागू नहीं अनुभव : लागू नहीं वांछनीय योग्यता : लागू नहीं अनुभव : लागू नहीं योग्यता : मानक टीप — लागू नहीं अनुभव : मानक टीप — लागू नहीं
8	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों के मामले में भी लागू होगी।		आयु : लागू नहीं शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है		लागू नहीं
10	भर्ती की पद्धतिः सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /स्थानान्तरण द्वारा, विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		पद्धति — प्रतिशत 1. प्रतिनियुक्ति : — 25 2. पदोन्नति जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा — 75
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन के मामले में ग्रेड जिनसे पदोन्नत /प्रतिनियुक्ति/विलयन किया जाना है।		पदोन्नतिः– (1) 75 प्रतिशत अनुभाग अधिकारी स्तर–8 (रु. 47600–151100) के ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हो तथा प्रशासनिक विभाग द्वारा यथा निर्धारित संबंधित क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। (2) 20 प्रतिशत निजी सचिव स्तर–8 (रु 47600–151100) के ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हो तथा प्रशासनिक विभाग द्वारा यथा निर्धारित संबंधित क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। (3) 5 प्रतिशत अनुवादक के ग्रेड में स्तर–8 (रु 47600–151100) के ग्रेड में 2 वर्षों

			की नियमित सेवा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हो तथा प्रशासनिक विभाग द्वारा यथा निर्धारित संबंधित क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। प्रतिनियुक्तिः– केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ षासित क्षेत्र के अंतर्गत अधिकारीः– (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में स्तर–8 (रु. 47600–151100) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में की गई 2 वर्ष की नियमित सेवा के साथ; तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखने वाले : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थान से स्नातक की डिग्री। (ii) संपत्तियों का निर्धारण और मूल्यांकन का 3 वर्ष का अनुभव या प्रशासनिक अनुभव। वांछनीय अर्हता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कानून की डिग्री। मानक नोटः जहां, वे कनिष्ठ जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है और उन पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे या 2 वर्ष, जो भी न्यूनतम हो, से कम नहीं हो के साथ–साथ अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है।

			पोषक वर्ग के वे विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाइन में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार से, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, केंद्र सरकार के उक्त या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से पूर्ववर्ती तत्काल धारित अन्य बाह्य संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
12	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?		श्रेणी 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति 1. अतिरिक्त आयुक्त (संस्था.) अध्यक्ष 2. निदेशक (कार्मिक) सदस्य 3. सहायक आयुक्त (संस्था.) सदस्य श्रेणी 'ख' विभागीय पुष्टि समिति लागू नहीं
13	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

अभिषेक भुकल, निदेशक (कार्मिक)

आदेश द्वारा,

राजेश चौधरी, संयुक्त सचिव (शहरी विकास)

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2025

F. No. 7(160)/DDLB-III/2025/CDNo. 021772781/5869 The following is published for general information and necessary action:-

MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI

(Central Establishment Department)

NOTIFICATION

Delhi, the 30th October, 2025

F.**No:- AO-III/CED/SO-IV/CED/MCD/2025/2676.–** In exercise of the powers conferred by section 98, read with sub-section (2) of section 480 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of

1957) and Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification Number S.O. 3159 dated the 19th October, 1966, and after consultation with Union Public Service Commission, the Municipal Corporation of Delhi is pleased to make the following recruitment regulations for regulating the method of recruitment to the post of **Administrative Officer/Assistant Assessor and Collector** in Municipal Corporation of Delhi, namely:-

1. **Short title and Commencement**.- (i) These regulations may be called **Administrative Officer/Assistant Assessor and Collector Recruitment Regulations, 2024**.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette**.**

2. **Number of posts, classification and Level in Pay Matrix. –** The number of the said posts, their classification and Level in Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.–** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person, -

(a) Who has entered into or contracted a second marriage with a person having a spouse living; or
(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a second marriage with any person; shall not be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Municipal Corporation of Delhi, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax. –** Where the Municipal Corporation of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons or posts.

6. **Saving. –** Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time, in this regard.

13 Points Schedule

1.	Name of the Post	Administrative Officer/Assistant Assessor Collector	
2.	No. of post	149* (2022) *Subject to variation depended on workload	
3.	Classification	Category ‘B’	
4.	Scale of Pay/ level in pay matrix	9 Remark : (Rs.53100-167800) in the Pay Matrix	
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection Post	
6.	Age limit for direct recruits	Not Applicable	
7.	Educational and other qualification required for direct recruits	**Essential:**	
		Qualification : Not Applicable	**Experience** : Not Applicable

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td colspan="2">Desirable :</td></tr>
<tr><td>Qualification : Not Applicable</td><td>Experience : Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Qualification Standard Note</td><td>Experience Standard Note</td></tr>
<tr><td>Not Applicable</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruitment will apply in the case of promotees.</td><td colspan="2">Age : Not Applicable
Edu. Quali : Not Applicable</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Period of probation, if any</td><td colspan="2">Not Applicable</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10.</td><td rowspan="3">Method of Recruitment: Whether by Direct Recruitment or by Promotion or by Deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods</td><td>Method</td><td>Percentage</td></tr>
<tr><td>1. Deputation</td><td>25</td></tr>
<tr><td>2. Promotion failing which by Deputation</td><td>75</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>In case of Recruitment by Promotion / Deputation / absorption grades from which Promotion / Deputation /absorption to be made</td><td colspan="2">Promotion:-
(i) 75 percent from the grade of Section Officer in Level-8 (Rs. 47600-151100) with 2 years regular service in grade; and having Degree from a recognized University and having successfully completed two to four weeks training in the relevant field as prescribed by administrative department.
(ii) 20 percent from the grade of Private Secretary in Level-8 (Rs. 47600-151100) with 2 years regular service in grade; and having Degree from a recognized University and having successfully completed two to four weeks training in the relevant field as prescribed by administrative department.
(iii) 5 percent from the grade of Translator in Level-8 (Rs. 47600-151100) with 2 years regular service in grade; and having Degree from a recognized University and having successfully completed two to four weeks training in the relevant field as prescribed by administrative department.

Deputation:

Officers under the Central Government/State Government/Union Territories:-
(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; Or
(ii) With 2 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-8 (Rs. 47600-151100) in the parent cadre/department ; and
(b) Possessing the following educational qualification and experience:-
Essential:
(i) A Bachelors degree from a recognized University/Institute.
(ii) 3 years experience of Assessment and valuation of properties or administrative experience.
Desirable Qualification:</td></tr>
</table>

		A Degree in Law from a recognized University/Institute. **Standard Note:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or 2 years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government, shall ordinarily not exceeded three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the date of the receipt of applications.
12	If a D.P.C. exists, what is its composition?	**Category 'B' Departmental Promotion Committee** (i) Additional Commissioner (Estt.) - Chairman (ii) Director (Personnel) - Member (iii) Assistant Commissioner (Estt.) - Member
		Category 'B' Departmental Confirmation Committee : Not Applicable
13.	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making Recruitment	Consultation with UPSC is not necessary.

ABHISHEK BHUKAL, Director (Personnel)

By Order,

RAJESH CHOUDHARY, Jt. Secy. (UD)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.11.12 15:20:57 +05'30'